न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 276/2024

प्रार्थी :-

1. नारायणलाल पुत्र रामलाल जाति खारडिया (सीरवी) बर्फा निवासी बेरा बर्फो की बावडी हर्ष रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1-सरकारी पैरोकार

आदेश **दिनांकः-** 14/01/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1036/1 रकबा 0.1294 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1036/2 रकबा 0.0566 हैक्टेयर आई हुई है, जो प्रार्थी की बंटसुदा, खातेदारीसुदा व कब्जा काश्तसुदा भूमि है। खसरा संख्या 1036/1, 1036/2, 1036 व 1036/3 के मूल खसरा संख्या 1036 रकबा 2 बींघा 8 बिस्वा था, जो पूर्व में प्रार्थी व उसके भाई भंवरलाल व प्रार्थी की बहने कमलादेवी, इन्द्रादेवी व प्रार्थी की माता मिश्रीदेवी के नाम दर्ज थी। प्रार्थी की बहने कमलादेवी, इन्द्रादेवी व माता मिश्रीदेवी द्वारा अपना उक्त खसरे में से निहित हिस्सा जरिये हकतर्कनामा द्वारा प्रार्थी व उसके भाई भंवरलाल को हकतर्क कर दिया तथा हकतर्कनामा के आधार पर म्यूटेशन संख्या 1465 स्वीकृत होकर खसरा संख्या 1036 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा प्रार्थी व उसके भाई भंवरलाल के नाम दर्ज हुई। जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा व उसके भाई भंवरलाल का 1/2 हिस्सा निहित हुआ। प्रार्थी व उसके भाई भंवरलाल द्वारा खसरा संख्या 1036 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा का आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया तथा बंटवाडा का एग्रीमेन्ट तत्कालीन तहसीलदार बिलाडा के समक्ष पेश किया। जिस पर बंटवाड़ा प्रार्थना पत्र संख्या 25/2012 दर्ज किया तथा खसरा संख्या 1036 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा में से खसरा संख्या 1036 रकबा 18 बिस्वा व खसरा संख्या 1036/3 रकबा 6 बिस्वा प्रार्थी के भाई भंवरलाल के बंट में रखी गयी तथा खसरा संख्या 1036/1 रकबा 16 बिस्वा 15 बिस्वांशी व खसरा संख्या 1036/2 रकबा 7 बिस्वा 5 बिस्वांशी प्रार्थी के बंट में रखी गयी। प्रार्थी की बंटसुदा भूमि खसरा संख्या 1036/1 को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए.बी.सी.डी. से व खसरा संख्या 1036/2 को मार्क बी.ई.एफ.जी. से दर्शित किया गया है तथा प्रार्थी के भाई भंवरलाल के बंटसुदा भूमि खसरा संख्या 1036 को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क डी.सी.ई.जे. से व खसरा संख्या 1036/3 को मार्क जी.एफ.आई. एच. से दर्शित किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपनी बंटसुदा भूमि खसरा संख्या 1036/1 मार्क ए.बी.सी.डी. की उतरी तरफ वर्ष 2020 में सात दुकानों का व पूर्वी तरफ दो दुकानों का निर्माण करवाया तथा सभी दुकानों के पीछे टीनशेड का निर्माण करवाया, जो आज भी मौके पर मौजूद है व उक्त खसरे की भूमि पर वक्त बंटवाड़ा से लेकर आज दिन तक मौके पर प्रार्थी का ही भौतिक व वास्तविक रूप से कब्जा है। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा अपनी बंटसुदा भूमि खसरा संख्या 1036/2 मार्क बी. ई.एफ.जी. की पूर्वी तरफ पर मकान का निर्माण व पश्चिमी तरफ पशुओं का बाड़ा का निर्माण करवाया जो आज भी मौके पर मौजूद है। उक्त

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

खसरे की भूमि पर वक्त बंटवाड़ा से लेकर आज दिन तक मौके पर प्रार्थी का ही भौतिक व वास्तविक रूप से कब्जा है। इसी प्रकार प्रार्थी के भाई भंवरलाल ने भी अपनी बंटसुदा भूमि खसरा संख्या 1036 मार्क डी.सी.ई.जे. की उतरी तरफ सात दुकानों का निर्माण करवाया जो आज भी मौके पर मौजूद है। उक्त खसरे की भूमि पर वक्त बंटवाड़ा से लेकर आज दिन तक मौके पर प्रार्थी के भाई का ही भौतिक व वास्तविक रूप से कब्जा है। इसके अलावा प्रार्थी के भाई भंवरलाल ने अपनी बंटसुदा भूमि खसरा संख्या 1036/3 मार्क जी.एफ.एच.आई. की पूर्वी तरफ मकान का निर्माण व पश्चिमी तरफ बाड़ा का निर्माण करवाया। जों आज भी मौके पर मौजूद है। उक्त खसरे की भूमि पर वक्त बंटवाड़ा से लेकर आज दिन तक मौके पर प्रार्थी के भाई का ही भौतिक व वास्तविक रूप से कब्जा है। तत्कालीन तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा बंटवाड़ा प्रार्थना पत्र पर दिनांक 03.10.2012 को आदेश पारित किया तथा आदेश की पालना में म्यूटेशन संख्या 1557 स्वीकृत किया गया तथा प्रार्थी व उसके भाई की बंटसुदा उपरोक्त भूमि अलग-अलग खातों में प्रार्थी व उसके भाई के नाम दर्ज की गयी। बंटवाड़ा प्रार्थना पत्र के साथ तत्कालीन हल्का पटवारी लिखमाराम सीरवी द्वारा खसरा संख्या 1036 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा में प्रार्थी व उसके भाई की बंटसुदा भूमि का नजरी नक्शा तैयार करते समय लिपिकीय भूलवश प्रार्थी की बंटसुदा भूमि खसरा संख्या 1036/1 मार्क ए.बी.सी.डी. के स्थान पर प्रार्थी के भाई की बंटसुदा भूमि खसरा संख्या 1036 दर्शित कर दी तथा प्रार्थी के भाई की बंटसुदा भूमि खसरा संख्या 1036 मार्क डी.सी.ई.जे. के स्थान पर प्रार्थी की बंटसुदा भूमि खसरा संख्या 1036/1 दर्शित कर दी। जो लिपिकीय भूलवश गलत दर्शित की। जबकि प्रार्थी की बंटसुदा भूमि खसरा संख्या 1036/1 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार मार्क ए.बी.सी.डी. है तथा प्रार्थी के भाई भंवरलाल की बंटसुदा भूमि खसरा संख्या 1036 संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार मार्क डी.सी.ई.जे. है। लिपिकीय भूलवश गलत नजरी नक्शा के अनुसार ही खसरा संख्या 1036 व 1036/1 की अ०नलाईन नक्शे में तरमीम की गयी, जो कि गलत की गयी। इसलिए खसरा संख्या 1036 व 1036/1 की अ०नलाईन नक्शे में की गयी गलत तरमीम के स्थान पर सही तरमीम प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार खसरा संख्या 1036/1 की मार्क ए.बी.सी.डी. अनुसार व खसरा संख्या 1036 की मार्क डी.सी.ई.जे. के अनुसार दुरूस्त/सही किया जाना आवश्यक है। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। खसरा संख्या 1036, 1036/1 की भूमि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने का माननीय न्यायालय को अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बिलाडा चक नं. 4 तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1036 रकबा 0.1456 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1036/1 रकबा 0.1294 हैक्टेयर की अ०नलाईन नक्शे में की गयी गलत तरमीम को दुरूस्त कर सही तरमीम खसरा संख्या 1036/1 रकबा 0.1294 हैक्टेयर की प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क ए.बी.सी.डी. के अनुसार व खसरा संख्या 1036 रकबा 0.1456 हैक्टेयर की प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क बी.सी.ई.जे. के अनुसार दुरूस्त/सही किये हेतु अप्रार्थी को आदेशित किया जावे।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये समन से तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब मय नजरी नक्शा पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिलाडा चक नं. 4 की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नंबर 1036/1 रकबा 0.1294 हैक्टयर, व खसरा नंबर 1036/2 रकबा 0.0566 हैक्टयर आई हुई है जो प्रार्थी की बंटसुदा खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि है। खसरा नंबर 1036 मूल रूप था तब इसका रकबा 2-08 बीघा था पूर्व में यह खसरा प्रार्थी के भाई भंवरलाल प्रार्थी की बहनें कमलादेवी, इन्द्रादेवी व प्रार्थी की माता मिश्रीदेवी के नाम था प्रार्थी की माता व बहनों द्वारा रजि. हकतर्कनामा स्वयं प्रार्थी व भाई भंवरलाल के पक्ष में किये जाने पर नामा. सं. 1465 के जरिये दोनों भाईयों के नाम दर्ज हुआ। दोनों भाईयों द्वारा आपसी सहमति बंटवाडा किया गया, जिसमें इस खसरे के चार टुकडे हुए। खसरा नंबर 1036, 1036/1, 1036/2, 1036/3। प्रार्थी के भाई भंवरलाल के बंट में खसरा नंबर 1036 रकबा 0-18 बी., खसरा नंबर 1036/3 रकबा 0-06 बीघा व प्रार्थी के बंट में खसरा नंबर 1036/1 रकबा 0-16-15 बीघा, खसरा नंबर 1036/2 रकबा 0-07-05 रखा गया। वक्त विभाजन प्रार्थी व उसका भाई भंवरलाल मौके पर तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार काबिज थे। बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय लिपिकीय त्रुटिवश खसरा नंबर 1036/1 की जगह 1036 तथा 1036 की जगह 1036/1 दर्ज हो गया जो कब्जे अनुसार सही नहीं है। उक्त विभाजित किये गये खसरा नंबरान की तरमीम लट्ठा ट्रेस में नहीं हुई थी। लेकिन ऑनलाईन प्रोग्राम के तहत बंटवाडा प्रस्ताव में दिखाये गये नजरी नक्शे अनुसार तरमीम कर दी गई जो कब्जे अनुसार सही नहीं है। वर्तमान में खसरा नंबर 1036/1 की जगह भंवरलाल काबिज है जबकि भंवरलाल का खसरा नंबर 1036 है। तथा खसरा नंबर 1036 पर नारायणलाल काबिज है, जबकि नारायणलाल का खसरा नंबर 1036/1 है। प्रार्थी एवं उसके भाई के भौतिक व वास्तविक रूप से कब्जा पद सं. 6 में दर्शाये नजरी नक्शा अनुसार है। दोनों भाई के वर्तमान कब्जे अनुसार पक्के मकान, बाडा दुकानें व टीन शेड बने हुए है, जो यह दर्शाते है कि भंवरलाल का हिस्सा पश्चिम दिशा में तथा नारायणलाल का हिस्सा पूर्वी दिशा में है। पटवारी हल्का बिलाडा चक नं. 4 द्वारा मौतबिरान की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई है, जिसमें दोनों भाईयों का कब्जा पद सं. 6 में दर्शाये गये नजरी नक्शे अनुसार है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बिलाडा चक 4 में स्थित भूमि खसरा नंबर 1036 रकबा 0.1456 हैक्टयर व खसरा नंबर 1036/1 रकबा 0.1294 हैक्टयर की ऑनलाईन नक्शे में की गई गलत तरमीम को दुरूस्त किया जाकर सही तरमीम नजरी नक्शे में दिखाये गये मार्क ए.बी.सी.डी. के अनुसार खसरा नंबर 1036/1 व मार्क डी.सी.ई.जे के अनुसार खसरा नंबर 1036 की तरमीम दुरूस्ती किये जाने में भूमिधारी की सहमति है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी सपठित आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्त में चाही गयी इस्तदुआ में टाईपिंग त्रुटिवश टाईप मार्क बी.ई.सी.जे. के स्थान पर लाल स्याही के पैन से मार्क डी.सी.ई.जे. संशोधित किये जाने का आदेश फरमावें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया जवाब मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर मनन एवं अध्ययन किया गया। जिससे

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

विदित होता है कि ग्राम बिलाडा चक 4 के खसरा नंबर 1036/1 रकबा 0.1294 हैक्टयर प्रार्थी की रेकर्डेड खातेदारी है हल्का पटवारी बिलाडा चक 4 द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 07.12.2024 के अनुसार खसरा नंबर 1036 पूर्व में एक की खसरा था तथा इसका रकबा पूर्व में 2-08 बीघा था इस खसरे का दोनों भाईयों द्वारा पूर्व में बंटवाडा कर लिया गया था। विभाजन के दौरान खसरा नंबर 1036 के चार टुकडे किये गये थे। जिसमें एक बंट दक्षिण की तरफ भंवरलाल के बंट में रखी गई थी। जिसके खसरा नंबर 1036/3 दिये गये। दूसरा बंट खसरा नंबर 1036/3 के उतर में रखा गया, जिसके खसरा नंबर 1036/2 दिये गये, यह नारायणराम के बंट में रखा गया। तीसरा बंट खसरा नंबर 1036/1 रखा गया जो खसरा नंबर 1036/2 के उतर व खसरा नंबर 1036 के पूर्व में रखा गया, जो नारायणराम के बंट में रखा गया था। चौथा बंट खसरा नंबर 1036 रखा गया, जो खसरा नंबर 1036/1 के पशिचम में तथा खसरा नंबर 1036/2 के उतर में रखा गया। इसी अनुसार दोनों भाई आज दिन तक काबिज है। विभाजन प्रस्ताव के दौरान लिपिंकीय भूलवश खसरा नंबर 1036/1 के स्थान पर 1036 व 1036 के स्थान पर 1036/1 दर्ज हो जाने से यह विवाद उत्पन्न हुआ है। अप्रार्थी सं. 1 सरकारी पैरोकार द्वारा उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरुस्त किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की है। एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी सपठित आदेश 6 नियम 17 सीपीसी को स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा चाही गई इस्तदुआ में टाईपिंग त्रुटि मार्क बी.सी.ई.जे. के स्थान पर डी.सी.ई.जे. किया जाता है। ऑनलाईन नक्शे में उक्त खसरान की गलत तरमीम को दुरुस्त किया जाना उचित है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि वो ग्राम बिलाडा चक 4 तहसील बिलाडा के खसरा सं. 1036/1 रकबा 0.1456 हैक्टयर की तरमीम फर्द मौका रिपोर्ट 07/12/2024 में संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार दुरुस्त कर शीघ्र से शीघ्र न्यायालय के समक्ष पेश करे। फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 07/12/2024 को इस निर्णय का भाग समझा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 14/01/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा